उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-9/2018/यू0ओ0-192/एक-1-2018-रा0-1

लखनऊ: दिनॉक: 01 नवम्बर, 2018

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8, वर्ष, 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक-03/06/2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए तथा राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-यू0ओ0-123/एक-1-2018-रा0-1 दिनांक-17/07/2018 को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल ग्राम महेवा, परगना श्रीनगर, तहसील लखीमपुर जनपद-खीरी स्थित भूमि जो राजस्व अभिलेखों में श्रेणी-2 खुदकाश्त खतौनी मिल्कियत सरकार के रूप में दर्ज, नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि का नि:शुल्क हस्तांतरण कर कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद- भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ के उपयोगार्थ कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखे जाने की अनुमति नीचे दी गयी अनुसूची के पश्चात उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

अनुसूची

क्रम सं0	**राजस्व ग्राम का नाम**	**परगना**	**तहसील**	**गाटा संख्या**	**क्षेत्रफल (हे0 में)**	**गाटे का प्रस्तावित अंश (हे0 में)**	**विवरण**
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	महेवा	श्रीनगर	लखीमपुर	481	2.424	2.424 सम्पूर्ण अंश	कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ के उपयोगार्थ कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर रखे जाने हेतु।
2	महेवा	श्रीनगर	लखीमपुर	482	2.552	0.810 पश्चिमी अंश	
3	महेवा	श्रीनगर	लखीमपुर	483	2.023	0.405 पश्चिमी अंश	
4	महेवा	श्रीनगर	लखीमपुर	484	12.222	8.410 पूरबी अंश	
				04 किता		**कुल- 12.049**	

(1)- प्रस्तावित भूमि का उपयोग कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना हेतु किया जायेगा।

(2)- निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर पट्टेदार को सुनवाई का अवसर देकर पट्टा निरस्त कर दिया जायेगा तथा भूमि वापस राज्य सरकार में निहित कर ली जायेगी।

(3)- पट्टेदार को प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता न होने पर वह इसे शासन को वापस कर देगा।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4)- प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन को बेचने, पट्टे पर देने अथवा किसी भी प्रकार से हस्तांतरण करने अथवा व्यवस्थित करने का अधिकार प्रशासकीय विभाग तथा पट्टेदार को नहीं होगा।

(5)- प्रश्नगत भूमि 30 वर्ष के लिए पट्टे पर दी जायेगी। पट्टेदार पट्टे की शर्त का अनुपालन किये जाने की दशा में पट्टेदार के अनुरोध पर प्रत्येक 30 वर्ष बाद 30-30 वर्ष के पट्टे का दो नवीनीकरण किये जायेगा, लेकिन पट्टे की समेकित अवधि 90 वर्षों से अधिक नहीं होगी। पट्टा निष्पादन का व्यय-भार संस्था द्वारा वहन किया जायेगा।

(6)- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ द्वारा राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक-03/06/2016 के प्रस्तर-4(1)(ग) में वर्णित व्यवस्था के अनुभार भूमि का वार्षिक किराया निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।

(7)- पट्टा निष्पादन के पश्चात भूमि का कब्जा संस्था को प्रदान किया जायेगा।

(8)- उपर्युक्त सभी शर्तों एवं प्रतिबंधों का अनुपालन जिलाधिकारी, लखीमपुर-खीरी द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव

संख्या- 9/2018/यू0ओ0-192 **(1)/एक-1-2018-रा0-1 तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- आयुक्त लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
5- जिलाधिकारी, खीरी को उनके पत्र संख्या-12ए/भूमि-हस्तांतरण/कृ0वि0के0/डीएलआरसी दिनांक-20/11/2017 के क्रम में।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आर0वी0 सिंह
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in